भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3364

उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

एमएसएमई के समक्ष वित्तीय चुनौतियाँ

3364. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एमएसएमई के समक्ष, विशेष रूप से संपार्श्विक आवश्यकताओं, लंबी कागजी कार्रवाई और ऋण चुकौती क्षमताओं संबंधी चिंताओं के संबंध में मौजूदा ऋण चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि छोटे व्यवसायों को अभी भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कारण हैं कि बजट में 15,700 करोड़ रुपए के आवंटन के बावजूद एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा एमएसएमई के पास संपार्श्विक की कमी, जो ऋण प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है, के मुद्दे का समाधान करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार वित्तीय सहायता की बढ़ती आवश्यकता के साथ संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा के लिए सीजीटीएमएसई जैसी नई योजनाओं का विस्तार करने या आरंभ करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : एमएसएमई की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वित्त तक सुगम पहुंच हेतु कई स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस), पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। सीजीएस के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी की सीमा को बजट 2025-26 में 5 करोड़ रु. से बढ़ाकर 10 करोड़ रु. करने की घोषणा की गई है।

(ग) से (च) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आरबीआई ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी दिनांक 24 जुलाई, 2017 के प्रमुख निदेश (दिनांक 11 जून, 2024 को अद्यतित) के माध्यम से बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में इकाइयों को दिए जाने वाले 10 लाख रु. तक के ऋण के मामले में कोलेटरल सिक्यूरिटी ने लें। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत एमएलआई द्वारा संस्वीकृत/संवितरित ऋण की निगरानी करता है । यह भी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कार्यसूची की मदों में से एक है।

राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोलेटरल आवश्यकताओं से संबंधित एमएसएमई की चुनौती का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड और एमएसएमई के लिए मुच्युअल क्रेडिट गारंटी स्कीम (एमसीजीएस-एमएसएमई) जैसी अन्य क्रेडिट गारंटी स्कीमों की शुरुआत की है, जहां कोलेटरल अनिवार्य नहीं है। एससीजीएस-एमएसएमई के अंतर्गत 100 करोड़ रु. तक का कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, संघीय बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए निम्नलिखित घोषणाओं की गई हैं:-

i. उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड
ii. पहली बार उद्यमी बनी महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 2 करोड़ रु. तक का सावधि ऋण प्रदान करने के लिए एक नई स्कीम।

*****